5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

211

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निग 1729-I-16 1. प्रेमलाल तनय महादेव राय

...निगराकार

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

....प्रति निगराकार

आवेदन पत्र अंतर्गत म.प्र. भू राजस्व संहिता धारा–50

प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. टीकमगढ़ के प्रकरण क्र.–74/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत है।

महोदय

निगराकार की ओर से विनय निम्न प्रकार है :–

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम धर्मपुरा सर्वे क्रमांक–258/1 रकवा 1.349 हेक्टेयर का भूमि पट्टा निगराकार को वर्ष 1995–96 में शासन द्वारा विधिवत दिया गया था। उक्त पट्टा राजस्व प्रकरण कमांक–107/अ–19 (4)/1995–96 दर्ज कर विधि संवत आधार पर पट्टा प्रदाय किया गया, जो लगातार हस्तलिखित राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। उक्त पट्टा कम्प्यूटर में दर्ज नहीं रहा। उक्त स्थिति में निगराकार द्वारा तहसील बड़ागांव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कम्प्यूटीकृत राजस्व अभिलेखों में दर्ज हेतु प्रकरण पंजीकृत किया गया। प्रकरण कमांक– 97/अ 6 अ/2013–14 के अनुसार तहसीलदार महोदय बड़ागांव के द्वारा आदेश दिनांक 14.09.2015 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय/तात्कालिक अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रकरण निर्देशित हेतु प्रस्तुत किया, जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक– 73/बी–121/2015–16 दर्ज कर आदेश दिनांक 10.12.2015 के माध्यम से उक्त प्रकरण को अनुमोदित करने से इंकार कर दिया गया एवं प्रकरण निरस्त कर दिया।

2. यह कि राजस्व अभिलेखों में विधिवत् तरीके से निगराकारग को पट्टा आबंटित किया गया

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.1729/I.16.....जिला .....टीकमगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1— आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमाँक 73/बी—121/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 10—12—2015 के विरूद्ध भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगणों को ग्राम धरमापुर की भूमि ख. नं0 258/1 रकवा 1.349 हे0 भूमि का पट्टा भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख एवं हस्तलिपि खसरा में भी उनका में आवेदकगण को नाम दर्ज है। न्यायालय नायब तहसीलदार बड़ागॉव द्वारा प्रकरण क्रमांक. 107/अ—14(4)/95—96 के तहत आवेदक को नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् पट्टा जारी किया गया था। तभी से वे काबिज है उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है। इसी आधार पर आवेदक द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागॉव के समक्ष कम्प्यूटर शाखा में आवेदक के नाम दर्ज किए जाने हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागॉव द्वारा अपना प्रतिवेदन संपूर्ण जांच एवं दस्तावेजों के आधार पर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आज्ञा हेतु प्रेषित किया था। किंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विना किसी विधिक आधार के विवादित भूमि को शासन मद में दर्ज किए जाने का आदेश पारित कर दिया इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15—20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है। जबकि उन्हें स्वप्रेरण निगरानी के तहत कार्यावाही करने की अधिकारिता नहीं है। इस कारण उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर विधिवत रूप से विवादित भूमि को आवेदक के नाम दर्ज किए जाने के निर्देश देने थे यदि कोई त्रुटि थी तो उन्हें अपना प्रतिवेदन सम्मानीय कलेक्टर	

[कृ. प. उ.

R-1729 E/16 (नौकरभाट)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

महोदय के समक्ष प्रतिप्रेषित करना था किंतु ऐसा न कर उन्होंने अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है। जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर तहसीलदार बड़ागॉव द्वारा दिनांक 14.09.15 को आवेदक के पक्ष में इस बावत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उल्लेखित भूमि का पट्टा आवेदक को 02/10/1984 के तहत प्रदान किया गया था । तथा मौके पर काबिज होकर हस्तलिपि खसरा में आवेदक गणों का नाम वर्तमान में दर्ज हैं इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रचलित कार्यवाही में पारित आदेश विधिसम्मत नहीं पाता हूँ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.15 निरस्त किया जाकर, अपर तहसीलदार बड़ागॉव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण के नाम कम्प्यूटर/राजस्व अभिलेख में पूर्वतः दर्ज किए जाने के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य